निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 29/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. ताराचन्द पुत्र गणेश जाति कुमावत निवासी नांगा सिरोडिया की ढाणी, ग्राम पंचायत बबेरवालो की ढाणी, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर

2. कन्हैयालाल पुत्र भीवाराम जाखड जाति जाट जरिये संरक्षक पिथल माता मन्दिर विकास समिति, ग्राम जोरपुरा जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या ...../2013 ब उनवानी ताराचन्द बनाम कन्हैयालाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री दिनेश कुमार पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 21.05.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या ...../2013 ब उनवानी ताराचन्द बनाम कन्हैयालाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार पारीक ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी अपील में अपीलाधीन आराजीयात खसरा नम्बर 869/1/1 के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 2284

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 29/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. ताराचन्द पुत्र गणेश जाति कुमावत निवासी मांगा सिरोडिया की ढाणी, ग्राम पंचायत बबेरवालों की ढाणी, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर
2. कन्हैयालाल पुत्र भीवाराम जाखड जाति जाट जरिये संरक्षक पिथल माता मन्दिर विकास समिति, ग्राम जोरपुरा जोबनेर, जिला जयपुर ग्रामीण

अप्रार्थी

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर टी एक्ट 1955 बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या ....../2013 ब उनवानी ताराचन्द बनाम कन्हैयालाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री रामअवतार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री दिनेश कुमार पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 21.05.2024

1. संक्षेप मे मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या ....../2013 ब उनवानी ताराचन्द बनाम कन्हैयालाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार पारीक ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त उनवानी अपील मे अपीलाधीन आराजीयात खसरा नम्बर 869/1/1 के संबंध मे नामान्तरकरण संख्या 2044

जिला कलक्टर
जयपुर

तहसीलदार जोबनेर जिला जयपुर के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रेम बिहारी पुत्र भूराराम की तामील में दिनांक 05.03.2024 को सुनवाई हेतु नियत थी। तत्पश्चात पत्रावली को दिनांक 08.03.2024 एवं दिनांक 13.03.2024 को नियत की गई। दिनांक 13.03.2024 से 20.03.2024 तत्पश्चात दिनांक 20.03.2024 से 21.03.2024 नियत की गई। इस प्रकार उक्त पत्रावली में डे बाई डे छोटी छोटी तारीख पेशियां देकर सुनवाई की जा रही है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की मृत्यु के बारे में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम हजफ किया जावे तथा उसकी जगह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पैरवी के लिए इजाजत प्रदान की जावे। गत पेशी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से एक व्यक्ति कोर्ट के बाहर प्रार्थी को कहा कि दो तीन तारीख पेशियों में मै इस पत्रावली को खारिज करवा दूंगा आपने अपील कर क्या कर लिया जो अपने आप को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का परिवाजन होना बताया है तथा धमकी देता है कि अधिकारी तो मेरी मुट्ठी में है तथा मेरे कहे अनुसार ही कार्य करेगा। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 जो कि राजनैतिक पहुंचवाला व्यक्ति है जो अपने राजनैतिक पहुंच के प्रभाव में अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पक्ष में लेकर मन माफिक निर्णय करवाने पर आमादा है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय की कार्य शैली पर कोई शंका नही है, परन्तु उक्त धमकी भरे वाकयात एवं अप्रार्थी संख्या 2 के राजनैतिक प्रभाव के चलते प्रार्थी को आशंका है कि प्रकरण में उसको न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए उक्त प्रकरण को सही न्याय निर्णय के लिए अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी के पास उक्त पत्रावली दिनांक 07.03.2024 को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है जिसमें प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.03.2024 को उनके विरूद्ध मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक **21.05.2024** को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner